प्रधानमंत्री जनधन योजना का ग्रामीण बैंकिंग पर प्रभाव

(मध्यप्रदेश राज्य के संदर्भ में)

डॉ. आकांक्षा राठौर,
सहायक प्राध्यापक (वाणिज्य)
प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ़ एक्सीलेंस,
शासकीय तुलसी महाविद्यालय, अनूपपुर

सारांश :

प्रधानमंत्री जनधन योजना (PMJDY) ने भारत के ग्रामीण और वंचित वर्ग को वित्तीय समावेशन की दिशा में महत्वपूर्ण अवसर प्रदान किए हैं। यह शोध पत्र विशेष रूप से मध्यप्रदेश राज्य में इस योजना के प्रभाव का मूल्यांकन करता है। अध्ययन में पाया गया कि मध्यप्रदेश में कुल खाताधारकों में 61% ग्रामीण क्षेत्र से हैं, जिनमें महिलाओं की भागीदारी 58% रही। कुल जमा राशि ₹16,414.84 करोड़ और औसत ₹360 प्रति खाता रही। RuPay कार्ड वितरण और डिजिटल भुगतान में उल्लेखनीय वृद्धि से पारदर्शिता और वित्तीय सशक्तिकरण को बढ़ावा मिला। योजना ने न केवल सरकारी लाभों का सीधे हस्तांतरण सुनिश्चित किया बल्कि महिलाओं के आत्मविश्वास और निर्णय लेने की क्षमता में भी सुधार किया। हालांकि, निष्क्रिय खाते, तकनीकी जागरूकता की कमी और साइबर सुरक्षा जैसे मुद्दे चुनौतियों के रूप में बने हुए हैं। भविष्य में वित्तीय साक्षरता, बैंकिंग नेटवर्क का विस्तार और डिजिटल अवसंरचना में सुधार पर विशेष ध्यान देकर योजना की प्रभावशीलता को और बढ़ाया जा सकता है। यह अध्ययन नीति निर्माताओं और बैंकिंग संस्थाओं के लिए उपयोगी मार्गदर्शन प्रदान करता है।

शब्दकुंजी: प्रधानमंत्री जनधन योजना, वित्तीय समावेशन, ग्रामीण बैंकिंग, डिजिटल भुगतान, महिला सशक्तिकरण

प्रस्तावना :

भारत एक कृषि प्रधान और विकासशील देश है, जहाँ अधिकांश जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। ग्रामीण और कमजोर वर्गों की आर्थिक प्रगति के लिए उन्हें औपचारिक बैंकिंग सेवाओं से जोड़ना बेहद जरूरी था, लेकिन लंबे समय तक ये वर्ग बैंकिंग सुविधाओं से वंचित रहे। इस स्थिति में प्रधानमंत्री जनधन योजना (PMJDY) ने ऐतिहासिक पहल के रूप में ग्रामीण और शहरी गरीबों को वित्तीय मुख्यधारा में शामिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। PMJDY का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक परिवार को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ना, वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देना और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को आत्मनिर्भर बनाना है। इस योजना के तहत बिना किसी न्यूनतम शेष राशि के खाते खोले जा सकते हैं, जिनमें RuPay डेबिट कार्ड, दुर्घटना बीमा कवर और ओवरड्राफ्ट जैसी सुविधाएँ शामिल हैं। इस योजना ने न केवल वित्तीय समावेशन को बढ़ावा दिया, बल्कि सरकारी लाभों के प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) को भी अधिक पारदर्शी और सरल बनाया। PMJDY ने करोड़ों गरीबों और वंचितों को सुरक्षित और सुलभ बैंकिंग सुविधाएँ प्रदान कर उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाए हैं। यह योजना भारत को वित्तीय रूप से सशक्त और समावेशी राष्ट्र बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुई है।

शोध उद्देश्य :

- मध्यप्रदेश में योजना के तहत ग्रामीण और शहरी खातों की संख्या एवं वितरण का अध्ययन।
- जमा राशि और डिजिटल लेन-देन का तुलनात्मक एवं विश्लेषणात्मक अध्ययन।
- योजना के सामाजिक और आर्थिक प्रभावों का आंकलन।
- महिला सशक्तिकरण में योजना की भूमिका का मूल्यांकन।
- चुनौतियाँ और संभावित समाधान प्रस्तुत करना।

शोध पद्धति :

यह अध्ययन मुख्यतः द्वितीयक स्रोतों पर आधारित है। डेटा स्रोतों में प्रधानमंत्री जनधन योजना की रिपोर्ट (25 जून 2025) शामिल हैं। सांख्यिकीय तकनीकों और तुलनात्मक अध्ययन द्वारा प्राप्त डेटा का विश्लेषण किया गया।

योजना के अंतर्गत लाभ :

- बिना बैंक खाता वाले व्यक्ति के लिए एक बुनियादी बचत बैंक खाता खोला जाता है।
- PMJDY खातों में न्यूनतम शेष राशि रखने की कोई अनिवार्यता नहीं है।
- PMJDY खातों में जमा राशि पर ब्याज मिलता है।
- PMJDY खाता धारक को RuPay डेबिट कार्ड दिया जाता है।
- PMJDY खाता धारकों को जारी RuPay कार्ड के साथ ₹1 लाख का दुर्घटना बीमा कवर (28.8.2018 के बाद खोले गए नए PMJDY खातों के लिए ₹2 लाख) मिलता है।
- पात्र खाताधारकों को ₹10,000 तक की ओवरड्राफ्ट (OD) सुविधा उपलब्ध है।
- PMJDY खाते प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT), प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY),

•प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY), अटल पेंशन योजना (APY), और माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी बैंक (MUDRA) योजना के लिए पात्र हैं।

तुलनात्मक एवं विश्लेषणात्मक अध्ययन :

मध्यप्रदेश की जनधन योजना रिपोर्ट : दिनांक 25/06/2025 तक

मध्यप्रदेश राज्य में प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत खाता खोलने की स्थिति

Table 1 (स्रोत: https://pmjdy.gov.in)

राज्य का नाम	ग्रामीण/अर्ध-शहरी केन्द्र बैंक शाखाओं में लाभार्थी	शहरी/मेट्रो केन्द्र बैंक शाखाओं में लाभार्थी	कुल लाभार्थी	खातों में शेष राशि (करोड़ ₹ में)	लाभार्थियों को जारी RuPay कार्डों की संख्या
मध्यप्रदेश	2,77,08,703	1,78,11,888	4,55,20,591	₹16,414.84	3,39,55,570

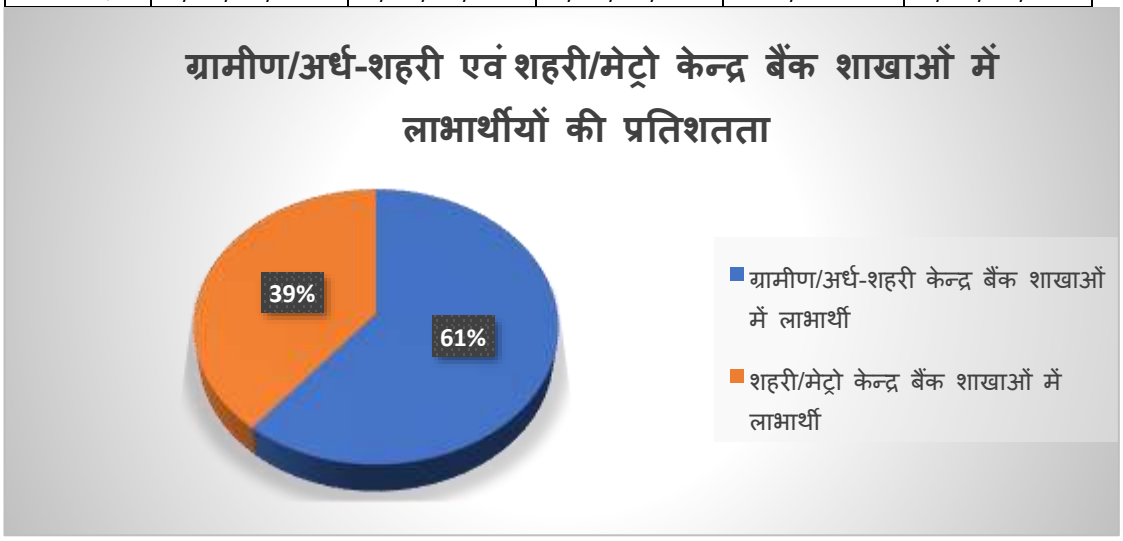

Fig.1 ग्रामीण/अर्ध-शहरी एवं शहरी/मेट्रो केन्द्र बैंक शाखाओं में लाभार्थीयों की प्रतिशतता

भारत में योजना की स्थिति :

Table 2 (स्रोत: https://pmjdy.gov.in)

बैंक का प्रकार	ग्रामीण/अर्ध-शहरी केन्द्र लाभार्थी (करोड़ में)	शहरी/मेट्रो केन्द्र लाभार्थी (करोड़ में)	महिला लाभार्थी (करोड़ में)	कुल लाभार्थी (करोड़ में)	खातों में जमा (करोड़ ₹ में)	RuPay कार्ड (करोड़ में)
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	27.19	16.01	23.84	43.20	₹2,01,664.27	33.09
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	9.01	1.48	6.10	10.49	₹50,362.53	3.80
निजी क्षेत्र के बैंक	0.77	1.05	1.02	1.82	₹7,595.58	1.48
ग्रामीण सहकारी बैंक	0.19	0.00	0.10	0.19	₹0.01	0.00
कुल योग	**37.16**	**18.53**	**31.06**	**55.69**	**₹2,59,622.39**	**38.37**

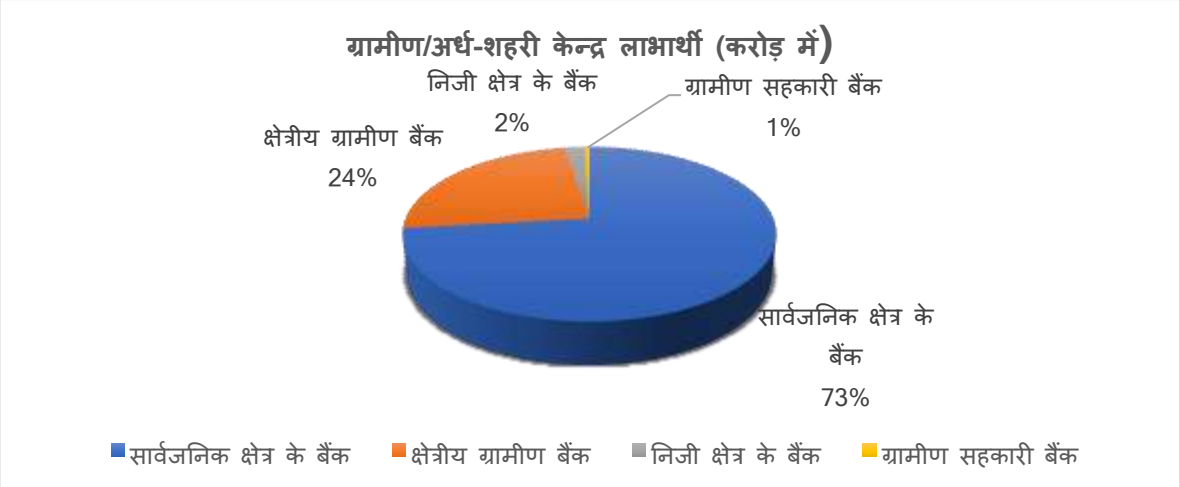

Fig.2 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, निजी क्षेत्र के बैंक, ग्रामीण सहकारी बैंक में लाभार्थीयों की प्रतिशतता

मध्यप्रदेश में योजना की प्रगति :

मध्यप्रदेश में ग्रामीण एवं अर्ध-शहरी क्षेत्रों में लगभग 61% खाते खोले गए हैं। शहरी क्षेत्रों में 39% खाते दर्ज हुए। कुल खाताधारकों की संख्या 4.55 करोड़ और कुल जमा राशि ₹16,414.84 करोड़ है। औसत जमा राशि ₹360 प्रति खाता है। RuPay कार्ड वितरण दर लगभग 74% है, जो डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने में सहायक रही।

योजना के प्रभाव :

1. सामाजिक-आर्थिक प्रभाव :

PMJDY ने गरीब और वंचित वर्ग को औपचारिक बैंकिंग से जोड़कर उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार किया। सरकारी सब्सिडी, पेंशन, छात्रवृत्ति जैसी विभिन्न योजनाओं की राशि सीधे खातों में पहुँचने से पारदर्शिता बढ़ी और बिचौलियों की भूमिका समाप्त हुई। ग्रामीण जनता में बचत की प्रवृत्ति में वृद्धि और नकदी रहित लेन-देन को बल मिला।

2. **महिला सशक्तिकरण :**

मध्यप्रदेश में महिलाओं के खातों की संख्या लगभग 58% है, जो राष्ट्रीय औसत (55%) से अधिक है। इस पहल ने महिलाओं को वित्तीय निर्णय लेने की स्वतंत्रता दी और सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि की, तथा स्वयं सहायता समूहों (SHGs) के माध्यम से महिलाएँ सूक्ष्म ऋण, बीमा और पेंशन योजनाओं से जुड़कर आत्मनिर्भर बनीं।

3. डिजिटल समावेशन और तकनीकी जागरूकता :

RuPay कार्ड और मोबाइल बैंकिंग एप्स ने डिजिटल लेन-देन को ग्रामीण क्षेत्रों में लोकप्रिय बनाया। कोविड-19 महामारी के दौरान डिजिटल भुगतान का महत्व अधिक बढ़ गया। हालांकि, तकनीकी साक्षरता की कमी और इंटरनेट कनेक्टिविटी की समस्या अब भी बड़ी चुनौतियाँ बनी हुई हैं।

4. तुलनात्मक दृष्टि से :राष्ट्रीय औसत में ग्रामीण खातों का प्रतिशत 56% है, जबकि मध्यप्रदेश में यह 61% है। औसत जमा राशि ₹360, जो राष्ट्रीय औसत ₹380 से थोड़ी कम है। महिला खाताधारकों की भागीदारी में मध्यप्रदेश आगे है। डिजिटल लेन-देन में भी राज्य ने बेहतर प्रदर्शन किया है।

5.ग्रामीण वित्तीय सशक्तिकरण :

ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को बैंकिंग सेवाओं से जोड़कर उन्हें औपचारिक वित्तीय प्रणाली का भागीदार बनाया गया है। पहले जहाँ नकदी आधारित लेन-देन प्रमुख था, अब वहाँ बैंक खातों के माध्यम से भुगतान, सब्सिडी प्राप्ति, पेंशन और वेतन आम हो गए हैं।

6.सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ :

अब विभिन्न सरकारी योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, पेंशन योजना, छात्रवृत्ति योजना आदि की धनराशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में पहुँच रही है, जिससे पारदर्शिता बढ़ी है और भ्रष्टाचार में कमी आई है।

7.सामाजिक प्रभाव :

प्रधानमंत्री जनधन योजना ने ग्रामीण समाज में कई सकारात्मक बदलाव लाए हैं। इससे आर्थिक असमानता में कमी आई है और समाज के वंचित वर्ग जैसे SC/ST, महिलाएँ और वृद्धजनों को बैंकिंग सुविधाएँ सुलभ हुई हैं। योजना ने स्वरोजगार और उद्यमिता को भी बढ़ावा दिया है। महिलाएँ अब स्वयं सहायता समूहों से जुड़कर छोटे व्यवसाय, बचत और ऋण गतिविधियों में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। युवाओं में डिजिटल लेन-देन के प्रति रुचि और जागरूकता बढ़ी है, जिससे कैशलेस अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन मिला है।

चुनौतियाँ :

• निष्क्रिय खाते: बड़ी संख्या में ऐसे खाते हैं जिनमें कोई लेन-देन नहीं हुआ है। इसका मुख्य कारण जागरूकता की कमी और सीमित आय है।
• तकनीकी जानकारी का अभाव: RuPay कार्ड या डिजिटल लेन-देन ग्रामीण लोगों के लिए अब भी चुनौतीपूर्ण है क्योंकि वे तकनीक के अभ्यस्त नहीं हैं।
• बैंकिंग ढाँचे की सीमा: दूरदराज के गाँवों में बैंक शाखाएँ, ATM और बैंक मित्रों की संख्या अपर्याप्त है।
• साइबर धोखाधड़ी की आशंका: डिजिटल लेन-देन में वृद्धि के साथ साइबर ठगी की घटनाएँ भी बढ़ी हैं।

समाधान एवं सुझाव :

1. वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम: खाताधारकों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाएँ ताकि वे डिजिटल लेन-देन, ATM उपयोग, DBT आदि को बेहतर समझ सकें।

2. बैंक मित्र नेटवर्क का विस्तार: बैंक मित्रों की संख्या और पहुँच को बढ़ाया जाए, जिससे सुदूर गाँवों तक सेवाएँ पहुँच सकें।

3. निष्क्रिय खातों को सक्रिय करने हेतु योजनाएँ: नियमित लेन-देन के लिए प्रोत्साहन योजनाएँ लाई जाएँ, जैसे नकद प्रोत्साहन या बीमा लाभ।

4. महिलाओं को लक्षित वित्तीय उत्पाद: स्वयं सहायता समूहों के साथ जुड़ाव बढ़ाकर महिला खाताधारकों को सूक्ष्म ऋण, बीमा और बचत योजनाओं से जोड़ना।

5. साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण: ग्रामीण क्षेत्रों में साइबर सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाकर डिजिटल धोखाधड़ी से बचाव की जानकारी देना।

6. ग्रामीण अवसंरचना जैसे ATM, बैंक शाखाएँ और इंटरनेट नेटवर्क का विस्तार आवश्यक है।

नीति प्रभाव और भविष्य की दिशा :

प्रधानमंत्री जनधन योजना ने वित्तीय समावेशन को एक सामाजिक आंदोलन का रूप दिया है। भविष्य में इस योजना की सफलता के लिए डिजिटल अवसंरचना, वित्तीय शिक्षा और ग्रामीण क्षेत्रों में तकनीकी सहायता को प्राथमिकता देनी होगी। महिलाओं के लिए उद्यमिता को प्रोत्साहित करने वाली योजनाएँ भी आवश्यक हैं।

निष्कर्ष :

जनधन योजना ने मध्यप्रदेश में ग्रामीण बैंकिंग को एक नई दिशा दी है। इस योजना के माध्यम से गरीब और वंचित वर्ग को वित्तीय सेवाओं से जोड़कर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाया गया। महिलाओं की बढ़ी हुई भागीदारी ने उन्हें वित्तीय निर्णयों में अधिक स्वतंत्र बनाया और समाज में उनकी स्थिति मजबूत की। डिजिटल लेन-देन में वृद्धि ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पारदर्शी और आधुनिक बनाया। हालांकि, निष्क्रिय खाते, तकनीकी जागरूकता की कमी और साइबर धोखाधड़ी जैसी चुनौतियाँ अभी भी मौजूद हैं। इन समस्याओं के समाधान हेतु वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम, बैंक मित्र नेटवर्क का विस्तार और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण आवश्यक हैं। भविष्य में तकनीकी एवं वित्तीय अवसंरचना को और मजबूत कर योजना को अधिक व्यापक और प्रभावी बनाया जा सकता है। यह योजना ग्रामीण विकास, महिला सशक्तिकरण और समावेशी आर्थिक प्रगति की दिशा में एक प्रभावशाली पहल सिद्ध हुई है।

संदर्भ :

1. प्रधानमंत्री जनधन योजना आधिकारिक वेबसाइट (https://pmjdy.gov.in)
2. RBI वार्षिक रिपोर्ट्स
3. नीति आयोग रिपोर्ट्स
4. जनधन योजना रिपोर्ट (25 जून 2025)
5. मध्यप्रदेश राज्य के बैंकिंग आँकड़े एवं सर्वेक्षण रिपोर्ट